ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मौदगिल, के सम्मुख जे. जे.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रमुख सामान्य प्रबंधक, स्थानीय प्रमुख कार्यालय, सेक्टर 17, चंडीगढ़

अपीलकर्ता बनाम

ललित जोशी और अन्य प्रतिवादी एल. पी. ए. No.1135/2019 (ओ. एंड एम.)

10 फरवरी, 2022

भारत का संविधान, 1950-अनुछेद ।226 और 227-लेटर पेटेंट अपील-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 S−151 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948-खंड 2-औद्योगिक विवाद अधिनियम-खंड 25 (छ)-नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंधों का अस्तित्व-बैंक के एक कर्मचारी बैंक कैंटीन वेटर-रिट अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया-याचिकाकर्ता एस. बी. आई. शाखा चंडीगढ़ में कैंटीन वेटर के रूप में काम कर रहा था-उसकी सेवाए समाप्त कर दी गई और कनिष्ठों को शामिल कर लिया गया था माना जाता है कि, **कैंटीन के वेटरों को बैंक के मुख्य प्रबंधक द्वारा नियुक्त किया गया था जो कैंटीन के पदेन प्रबंधक भी होते हैं-वेतन का भुगतान बैंक द्वारा दी गई सब्सिडी से किया गया था-कैंटीन को एल. आई. सी. (स्थानीय कार्यान्वयन समिति) नामक इसकी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही थी।**

इसलिए कैंटीन कर्मचारी 1947 के अधिनियम के खंड 2(S) के तहत श्रमिक कि परिभाषा में आएंगे इसके इलावा उनकी बर्खास्तगी को अवैध और मनमाना माना जाता है क्योकि यह परदर्शित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था कि कामगार नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं था – लेटर पैटंट अपील को खारिज किया गया।

यह माना गया कि इन अपीलों में निर्णय लिया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, कि क्या नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध मौजूद है, इस तथ्य के इर्द-गिर्द घूमता है कि कर्मचारी

(दोनों अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1) प्रति माह Rs.350 के मासिक वेतन पर 01.01.1990 पर कैंटीन वेटर के रूप में सेवा में शामिल हुए- कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे था। हालाँकि, उनकी सेवाओं को 27.07.1995 को खत्म कर दिया गया था और प्रतिवादी नं.1 के कनिष्ठ श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद इसे '1947 का अधिनियम कहा जाएगा। खंड 25 (जी) के उल्लंघन के साथ-साथ 'अंतिम आओ, पहले जाओ' के सिद्धांत के खिलाफ अवशोषित किया गया था। चूँकि 1947 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान भी आवश्यक रूप से नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता-प्रबंधन को एक मांग नोटिस दिया गया था जिसमें पूरी मजदूरी के साथ सेवा में श्रमिकों को बहाल करने के निर्देश के साथ छंटनी को अलग करने का अनुरोध किया गया था। इसलिए जिसमे छटनी को रद्ध करने के लिए प्रार्थना की गई थी जिसमे श्रमिकों को पूर्ण बकाया वेतन देने के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

(पैरा 4)

यह माना गया कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड से दलीलों के अवलोकन के बाद, स्वीकार किए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स को यहाँ नीचे दर्ज किया गया हैः- i उत्तरदाताओं को जनवरी 1990 में पांच अन्य लोगों के साथ कैंटीन वेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में नियुक्त होने की तारीख से उनसे जूनियर थे; (ii) इन कैंटीन वेटरों की नियुक्ति मुख्य प्रबंधक द्वारा नियुक्त की जाती थी, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए बैंक द्वारा संचालित कैंटीन के पदेन प्रबंधक के रूप में काम किया था। उन्हें सुबह 09:30 से शाम 5:30 तक सेवा करने के लिए प्रति माह 350/–का भुगतान किया जा रहा था और कैंटीन वेटर की ऐसी नौकरी के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी;

(पैरा 17) इसके इलावा यह माना गया कि, उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों को सामूहिक रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ने पर, यदि मामला हाथ में है तो परिभाषाओं के चार कोनों के भीतर परीक्षण किया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी नं।1 – श्रमिकों ने लगभग साढ़े पाँच साल लगातार सेवा की थी और छंटनी की प्रक्रिया का विधिवत पालन नहीं किया गया था।

(पैरा 20) इसके अलावा यह माना गया है कि अपीलकर्ता-प्रबंधन की चयन समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित करने के तथ्य को इस स्वीकृति के साथ स्वीकार किया जाता है कि कर्मचारी-प्रतिवादी नं 1 को उपयुक्त नहीं पाए जाने पर उनका चयन नहीं किया गया। तथापि, त्रिबुनल और इस नयालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विभिन्न अवसर दिए जाने के बावजूद, हालांकि इस तरह के साक्षात्कार का रिकॉर्ड और ऐसी समिति द्वारा किए गए चयन को न्यायाधिकरण और इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया था और न ही यह दिन की रोशनी में देखा गया था।यह निर्विवाद है कि श्रमिक-प्रतिवादी न० 1 दिनांक 01.01.1990 से 27.07.1995 तक सेवा में रहा जैसा कि MW1, V.K.Maurya ने अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है। अपीलकर्ता-प्रबंधन ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि 1947 के अधिनियम की खंड 25 (एफ) के तहत किसी भी नोटिस के बदले में एक महीने के वेतन का भुगतान किया गया था।यहां तक कि "अंत में आओ, पहले जाओ" के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया है, इसलिए, खंड 25 (जी) का स्पष्ट उल्लंघन है।

(पैरा 35) मे आगे कहा कि 1947 के अधिनियम की खंड 25 (एफ) के प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं और इन्हे समाप्त करते समय उनका उल्लंघन किया गया हैं, अपीलकर्ता की पूरी कार्रवाई को अवैध, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के कारण दूषित माना गया है और इसलिए, कानून में टिकाऊ नहीं है।

882

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

(पैरा 36)

मधु दयाल, अधिवक्ता

अपीलकर्ता के लिए।

अशोक शर्मा नाभेवाला, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता

संदीप मौदगिल, जे।

2019 के एल. पी. ए. संख्या 1156 में 2020 का सीएम No.1842 एल. पी. ए.

(1) सी. पी. सी. की खंड 151 के साथ पठित आदेश 22 नियम 4 के तहत वर्तमान आवेदन सोम दत्त (मृत होने के बाद से) के कानूनी प्रतिनिधियों, को रिकॉर्ड पर लाने के लिए सुना आवेदक-प्रतिवादी नं.1.

आवेदक अर्थात परवीन (विधवा), इंद्रप्रस्थ मेहता और मोहित मेहता (दोनों बेटे), जैसा कि आवेदन के पैरा 4 में उल्लेखित है, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन, कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में शामिल किया गया हैं।

तदनुसार आवेदन की अनुमति दी जाती है।

पक्षों के संशोधित ज्ञापन को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

2019 का एल. पी. ए. संख्या 1135 और 2019 का एल. पी. ए. संख्या 1156

(2) चूंकि कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न दो एल. पी. ए. में शामिल हैं, यानी 2019 का एल. पी. ए. No.1135, "भारतीय स्टेट बैंक बनाम ललित जोशी और अन्य" और 2019 का एल. पी. ए. No.1156, "भारतीय स्टेट बैंक बनाम सोम दत्त (मृतक) तथा एल. आर. और", सामान्य आदेश द्वारा तय किया जा रहा है, हालाँकि, तथ्यों को 2019 के एल. पी. ए. संख्या 1135 से लिया जा रहा है, जबकि सेवा में नियुक्ति की तारीख और साथ ही सेवा से समाप्ति की तारीख दोनों अपीलों में समान हैं।

(3) अपीलकर्ता-भारतीय स्टेट बैंक ने विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित पुरस्कार और दिनांक 30−04−2019 के आदेश के खिलाफ तत्काल अदालत के भीतर अपील को प्राथमिकता दी है, जिसके अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं को केंद्र सरकार द्वारा पारित दिनांक 13−08−2018 के उपरोक्त पुरस्कार को बरकरार रखते हुए खारिज कर दिया गया था। औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' कहा जाएगा), चंडीगढ़ और यह आदेश

दिया गया कि नीचे दिए गए न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार को बिना किसी देरी के लागू किया जाए।

(4) इन अपीलों में निर्णय लिया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, कि क्या नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध मौजूद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चीफ जनरल मैनेजमेंट 4 आर, लोकल हेड ऑफिस, सैक्टर–17 चंडीगढ़

इस तथ्य के आसपास कि कर्मचारी (दोनों अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1) दिनांक 01–0–1–1990 को कैंटीन वेटर के रूप में 350/– रुपये प्रति माह के मासिक वेतन पर शामिल हुए जिसमे ड्यूटी का समय सुबह 09:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक था हालांकि उनकी सेवाए 27–07–1995 को समाप्त कर दी गई और प्रतिवादी नं.1 – के कनिष्ठ श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद '1947 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की खंड 25 (जी) के उल्लंघन में शामिल कर लिया गया साथ ही 'अंतिम आओ, पहले जाओ' के सिद्धांत के खिलाफ अवशोषित किया गया था। चूँकि 1947 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान भी आवश्यक रूप से नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता-प्रबंधन को एक मांग नोटिस दिया गया था जिसमें छटनी को रद्ध करने के लिए प्रार्थना की गई थी जिसमे क्षर्मिकों को पूर्ण बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

(5) नीचे दिए गए न्यायाधिकरण ने अपने फैसले दिनांक 13.08.2018 के माध्यम से यह माना गया कि कामगार-प्रतिवादी नं।1 नियमित और बारहमासी प्रकृति के पद के लिए कर्तव्य का पालन कर रहे थे और इसलिए, दावेदार कर्मचारी संख्या की समाप्ती तक 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ उसी पद पर सेवा में फिर से नियुक्ति के हकदार हैं क्योंकि दावेदार-श्रमिक-प्रतिवादी संख्या।1 यह अपने आप में अवैध है, विशेष रूप से तब दावेदार-श्रमिकों को उनकी समाप्ति के बाद से कहीं भी लाभकारी रूप से नियुक्त नहीं है।

(6) एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 30-04-2019 के आदेश को चुनौती देने के लिए अपनी दलीलों के समर्थन में, प्रबंधन-अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मधु दयाल ने प्रस्तुत किया कि कैंटीन के कर्मचारी बैंक के कर्मचारी नहीं बनेंगे क्योंकि बैंक के पास ऐसी कैंटीन चलाने के लिए किसी भी पुरस्कार/समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले कोई वैधानिक या संविदात्मक/दायित्व नहीं हैं।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि इस तरह की कैंटीन भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं में बैंक द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजना के अनुसार स्थानीय कार्यान्वयन समिति (जिसे इसके बाद 'एल. आई. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है) बैंक द्वारा बनाई गई कल्याणकरी योजना के अनुसार चलाई जाती हैं और इस तरह, प्रबंधन या प्रतिवादी न० 1 के बीच गोपनियता नहीं है ।

(7) उपरोक्त के अलावा, सुश्री मधु दयाल, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कर्मचारियों की नियुक्ति कभी भी अपीलकर्ता-प्रबंधन द्वारा नहीं की गई थी क्योंकि किसी भी वैधानिक नियमों के तहत बैंक में कैंटीन वेटर का कोई पद नहीं है।इस बात से भी इनकार किया गया कि 11 कैंटीन श्रमिकों को कभी भी अपीलकर्ता बैंक-प्रबंधन द्वारा नियुक्त किया गया था, जबकि वेतन का भुगतान प्रतिवादी नं।1 – कर्मचारी भी एल. आई. सी. द्वारा थे न कि बैंक के प्रबंधन द्वारा।

(8) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान एकल पीठ के साथ-साथ नीचे दिए गए न्यायाधिकरण ने केवल पर भरोसा किया है

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (इसके बाद '1948 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर इस तथ्य की सराहना किए बिना कि 1948 के अधिनियम के तहत 23.05.1995 का आदेश पूरी तरह से अलग तरीके से पारित किया गया था।अपीलकर्ता के वकील ने अपने तर्कों का सारांश इस कथन के साथ दिया कि क्योंकि नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध अपीलकर्ता-प्रबंधन

और प्रतिवादी के बीच मौजूद नहीं है।1 – श्रमिक, इसलिए 1947 के अधिनियम की खंड 25 (जी) का कोई उल्लंघन नहीं है।

(9) अपीलकर्ता द्वारा रिलायंस को एक फैसले पर रखा गया है

अपीलकर्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम भारतीय स्टेट बैंक कैंटीन कर्मचारी संघ (बंगाल सर्कल) और अन्य मामले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया जिसमे कहा गया कि ऐसी कैंटीनो में कर्मचारी काम नहीं करते थे कर्मचारी बैंक के नियंत्रण में नहीं थे और उनकी नियुक्तियां एस. बी. आई. द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। सुश्री मधु दयाल, अधिवक्ता ने भी उपरोक्त निर्णय का समर्थन लेने की हद तक यह तर्क देते हुए कहा है कि चूंकि कर्मचारी-प्रतिवादी नहीं। 1 अपीलकर्ता द्वारा कभी भी काम नहीं किया गया-प्रबंधन, 1947 के अधिनियम की खंड 2 (के) के संदर्भ में कोई औद्योगिक विवाद मौजूद नहीं है, क्योंकि पक्षों के बीच स्वामी और सेवक का संबंध होना चाहिए।

(10) रिलायंस को एक अन्य शीर्ष अदालत में भी रखा गया है।

आरक्षित निधि के प्रबंधन के संबंध में नियोक्ताओं में निर्णय

बैंक ऑफ इंडिया बनाम उनके प्रस्तुतियों को समाप्त करने के लिए और अंत में इस आशय के तर्क पर जोर देने के लिए कि चूंकि अपीलकर्ताओं के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है-प्रबंधन और प्रतिवादी नं।1, वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए।

(11) दूसरी ओर, Sh.Ashok शर्मा नभेवाला I, विधवान अधिवक्ता प्रतिवादी नं.1– श्रमिकों ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नं1 कर्मचारियों को – जनवरी 1990 में भारतीय स्टेट बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय में कैंटीन वेटर के रूप में कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था, साथ ही पांच अन्य कैंटीन वेटर, अर्थात् तुला राम, अशोक कुमार, S.K.Mishra, सरूप सिंह और अरविंद शर्मा, थे जो नौकरी की तारीख से उनसे छोटे थे।उन्हें मुख्य प्रबंधक द्वारा नियुक्त किया गया था, जो कैंटीन के पदेन प्रबंधक के रूप में काम करते थे, जिसे बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा से चलाता है।वेटर की नौकरी के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी और उनमें से कई को सुबह 9:30 बजे से

शाम 05:30 बजे तक ड्यूटी के घंटों के साथ Rs.350/-per महीने के वेतन पर नियुक्त किया गया था।

1 (2000) 5 एस. सी. सी. 531

2 1996(2) आर. एस. जे.-332 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रमुख सामान्य प्रबंधन 4 आर, स्थानीय प्रमुख कार्यालय, सैक्टर 17 चंडीगढ़ बनाम ललित जोशी और अन्य

उनका काम बड़े दल वाले क्षेत्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों को चाय, दोपहर का भोजन आदि उपलब्ध कराना था।

(12) प्रतिवादी न० 1 कामगारों कि और से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि संबन्धित समय पर 18 कैंटीन कर्मचारी शिफ्ट-वार थे और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन की ओर से सब्सिडी वाली कैंटीन को नियंत्रित करने, पर्यवेक्षण करने और प्रबंधित करने के लिए एक एल. आई. सी. का गठन किया गया था-अपीलकर्ता।

(13) श्रमिकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा नभेवाला ने अधिनियम 1948 के तहत प्राधिकरण के दिनांक 23-09-1995 के आदेश पर कथित गलत निर्भरता का जवाब देते हुए तर्क दिया कि कर्मचारी और अन्य कैंटीन श्रमिकों ने प्राधिकरण के समक्ष 1948 के अधिनियम की खंड 20 के तहत एक संयुक्त आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें केवल प्रति माह Rs.350 का भुगतान किया जा रहा था, जबकि उन्हें 1948 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए था।

(14) उक्त कार्यवाही में, काम के घंटों के विवाद पर, एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया था और स्थानीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, 1948 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण ने माना कि कर्मचारी पूरे दिन काम कर रहे थे।तदनुसार, वर्तमान श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों का दावा-प्रतिवादी नं।1 न्यूनतम मजदूरी और प्रबंधन द्वारा भुगतान कि जाने वाली वास्तविक देय राशि के चार गुना की सीमा तक जुर्माने के मुआवजे के साथ अनुमति दी गई थी, अपने आदेश दिनांक 23.09.1995 के अनुसार।

उक्त आदेश को 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. No.9240 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसे निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 15.11.1995 पर खारिज कर दिया गया थाः-

"......अशिक्षित गरीब कर्मचारियों की मदद करने के बजाय, अधिकारियों का रवैया निर्दयी, कठोर और पूरी तरह से अप्रत्याशित या प्रमुख बैंक प्रतीत होता है, जिसके अन्य नियमित कर्मचारियों को अन्य निगमों/विभागों में अपने सहयोगियों की तुलना में देश में सबसे अच्छा वेतन प्राप्त कर रहे है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता-बैंक का रवैया जीवन यापन की उच्च लागत के इस युग में गरीब अशिक्षित श्रमिकों को प्रति माह Rs.350 का भुगतान करके उनका शोषण करके उनका खून चूसना है। हमारे सुविचारित विचार है कि लगाया गया जुर्माना हल्के पक्ष में है। इस प्रकार के मामलों में, अधिकारियों से अनुकरणीय दंड लगाने की अपेक्षा की जाती है।

यहाँ तक कि इस जुर्माने का याचिकाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक ने समर्थन नहीं किया है और जुर्माने की दर को चुनौती देने के लिए न्यायालय के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इस न्यायालय में आया है।

ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हमे रिट याचिका में कोई ताकत नहीं मिलती हैं जो केवल श्रमिकों से मौद्रिक रियायत वसूलने के उदेशय से उन्हें परेशान करने का एक कठोर प्रयास है। हमारा यह भी मानना है कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाये जाए, जो बैंक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान करने में विफल रहे हैं।प्रत्येक प्रतिवादी कर्मचारी को 1,000/- रुपये की लागत का भुगतान करने के साथ रिट याचिका को खारिज की जाती है।"

(15) विद्वान अधिवक्ता श्री नाभेवाला ने इस न्यायालय का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपने सभी महाप्रबंधक (संचालन) क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब, स्टाफ कैंटीन को जारी किए गए एक परिपत्र दिनांक 30–11–1994 की ओर आकर्षित किया, जिसमें स्थानांतरण के दौरान सलाह दी गई थी कि 01.07.1989 को स्थानीय, प्रधान कार्यालय के अनुसार बैंक द्वारा चलाई जा रही स्टाफ कैंटीन को भी सेक्टर 17, बैंक स्क्वायर, चंडीगढ़ में मौजूदा नई इमारत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह भी सलाह दी गई कि कैंटीन को बैंक द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और वर्तमान में एल. आई. सी. द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को बैंक में स्थायी नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा।

(16) इस तरह की पृष्ठभूमि के साथ–साथ इस तथ्य के प्रकाश में कि प्रतिवादी न० 1 कर्मचारियों को समाहित करने के बजाय-प्रतिवादी नहीं।1, अपीलकर्ता-प्रबंधन ने 27.07.1995 को मौखिक रूप से छंटनी का आदेश दिया और 1947 के अधिनियम की खंड 25 (G) के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए तुला राम, अशोक कुमार, सरूप सिंह और अरविंद शर्मा जैसे कनिष्ठ श्रमिकों को बिना किसी मुआवजे के और साथ ही "अंत में आओ, पहले जाओ" के सिद्धांत के खिलाफ शामिल कर लिया।श्री नाभेवाला ने अंत में इस प्रार्थना के साथ निष्कर्ष निकाला कि पुरस्कार दिनांक 13–08–2018 और आदेश दिनांक 30–04–2019 को क्रमश: नीचे दिए गए न्यायाधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया जो कानूनी और निष्पक्ष हैं और इसलिए, इंटरा अदालत की अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

(17) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और रिकॉर्ड से दलीलों के अवलोकन के बाद, स्वीकार किए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स का निष्कर्ष यहाँ नीचे दर्ज किया गया है:-

i उत्तरदाता को जनवरी 1990 में पांच अन्य लोगों के साथ कैंटीन वेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चीफ जनरल मैनेजमेंट 4 आर, लोकल हेड ऑफिस, सैक्टर –17 चंडीगढ़ में नियुक्त होने की तारीख में उनसे जूनियर थे।

बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 17, चंडीगढ़;

ii इन कैंटीन वेटरों की नियुक्ति मुख्य प्रबंधक द्वारा की जाती थी जो अपने कर्मचारियों के लिए बैंक द्वारा संचालित कैंटीन के पदेन प्रबंधक के रूप में काम करते थे। उन्हें सुबह 09:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक प्रति माह वेतन @Rs.350 की दर से वेतन दिया जा रहा था और कैंटीन वेटर की ऐसी नौकरी के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी;

iii वर्ष 1993 में, प्रतिवादी संख्या 1-श्रमिकों ने अन्य कैंटीन वेटरों के साथ, 1948 के खंड 20 के तहत नौकरी के लिए, जिसमें प्रति माह Rs.350 के बजाय नौकरी के लिए उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट मजदूरी की मांग के लिए आवेदन दायर किया था। एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति करके एक रिपोर्ट मांगने के बाद, इन आवेदनों को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.05.1995 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

iv भारतीय स्टेट बैंक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब, स्टाफ कैंटीन के लिए दिनांक 30.11.1994 का एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बैंक द्वारा चलाई गई कैंटीन को नई इमारत, सेक्टर 17, बैंक स्क्वायर, चंडीगढ़ में स्थानीय मुख्य कार्यालय को स्थानांतरित करने के साथ-साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

दिनांक 23.05.1995 के आदेश खिलाफ 1995 की सिविल रिट याचिका No.9240 को दिनांक 15.11.1995 के आदेश माध्यम से इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था, कि यह भारतीय स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक संस्थानों के बेईमान प्रशासन द्वारा गलत कारणों से या केवल अपने व्यक्तिगत अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक तुच्छ मुकदमा है।

v 28.02.1995 को, अपीलकर्ता-प्रबंधन के डी. जी. एम. ने 1948 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया कि कैंटीन को क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब और

कर्मचारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, और प्रतिवादी नं.1 सहित कर्मचारी– उक्त कैंटीन में काम करने वाले कामगार होंगे, को नियमित रूप से शामिल किया जाएगा।

एल. आई. सी. ने 10 कर्मचारियों को नियुक्त किया था और यह सलाह दी गई थी कि कैंटीन को बैंक द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और इसमें रसोइये, वाहक और डिश क्लीनर सहित छह कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए।उनमें से छह को स्थायी नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए एक चयन समिति द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाना था, बशर्ते कि वे योग्य मानदंडों को पूरा करते हों।

(18) इस तरह के साक्षात्कार 21.07.1995 डी. जी. एम. (प्रतिष्ठान) द्वारा नामित एक समिति द्वारा आयोजित किए गए थे जिसमें बैंक के चार अधिकारी शामिल थे। छह नामों की मंजूरी के साथ एक योग्यता सूची तैयार की गई थी, जिसमें प्रतिवादी न० 1 क्रमिकों के नाम का उल्लेख नहीं था।

vii यह मामला अपीलकर्ता-प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि छह श्रमिकों के साक्षात्कार और नियुक्ति के परिणामस्वरूप, यदि उत्तरदाताओ को सेवा से अलग कर दिया गया था, और यह श्रम न्यायालय के समक्ष औद्योगिक संदर्भ का विषय बना।

(19) एल. आई. एस. के पक्षकारों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी के संबंधों के संबंध में प्राथमिक मुद्दे पर वापस आते हुए, इस न्यायालय ने प्रासंगिक क़ानून की परिभाषा पर विचार किया है जिसमें 'कामगार' की परिभाषा को वही अर्थ दिया गया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में है।1947 के अधिनियम की खंड 2 (s) ने 'कामगार' को निम्नानुसार परिभाषित किया है:-

" औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:-

खंड 2 (S) 'कर्मचारी का अर्थ है से कोई भी व्यक्ति (एक प्रशिक्षु सहित) अभिप्रेत है जो किसी भी उद्योग में किसी भी मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिक या पर्यवेक्षी कार्य को किराए या ईनाम के लिए करने के लिए नियोजित है, चाहे रोजगार

की शर्तें स्पष्ट हों या निहित हों, और इस अधिनियम के तहत किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, इसमे कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप बर्खास्त, सेवा मुक्त या हटा दिया गया है, या जिसकी बर्खास्तगी, सेवा मुक्त या छंटनी ने उस विवाद को जन्म दिया है, लेकिन इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है -

(i) जो वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45), या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या नौसेना अधिनियम, 1957-(1957) का 62) के अधीन है; या

((ख) जो पुलिस सेवा में या जेल के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत है; या

((ग) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत है; या

((iv) जो पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत होने के कारण, प्रति माह [दस हजार रुपये] से अधिक वेतन प्राप्त करता है या जो अन्य कर्तव्यों की प्रकृति से अधिक है। (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया), मुख्य महा प्रबन्धक 4 आर, लोकल हेड ऑफिस, सैक्टर – 17 चंडीगढ़ के बनाम ललित जोशी और अन्य

कार्यालय से संबद्ध या उसमें निहित शक्तियों के कारण, मुख्य रूप से प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य करता है।]

इसके अलावा 'नियोक्ता' शब्द को 1947 के अधिनियम की खंड 2 (जी) के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की खंड 2 (ई) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

1947 के अधिनियम की खंड 2 (छ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

खंड 2 (ई) "नियोक्ता" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति सीधे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी अनुसूचित

रोजगार में एक या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करता है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं, और इसमें खंड 26 की उप-खंड (3) को छोड़कर, इसमे शामिल है (i) एक कारखाने में जहां कोई अनुसूचित रोजगार किया जाता है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की खंड 7 की खंड (1) के [खंड (च) के तहत नामित कोई भी व्यक्ति, कारखाने के प्रबंधक के रूप में शामिल है।

((ख) भारत में किसी भी सरकार के नियंत्रण में किसी भी अनुसूचित रोजगार में, जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं, ऐसी सरकार द्वारा कर्मचारियों की देख रेख और नियंत्रण के लिए ऐसी सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकरण या जहां कोई व्यक्ति या प्राधिकरण इस तरह से नियुक्त नहीं किया गया है, विभाग का प्रमुख होगा।

((ग) किसी स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी अनुसूचित रोजगार में, जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं, कर्मचारियों की देख रेख और नियंत्रण के लिए ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त व्यक्ति या जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है, स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा;

((iv) किसी अन्य मामले में जहां कोई अनुसूचित रोजगार किया जाता है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं, कोई भी व्यक्ति जो कर्मचारियों की देख रेख और नियंत्रण के लिए या मजदूरी के भुगतान के लिए मालिक के प्रति जिम्मेदार है;

यह न्यायालय सचेत रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की खंड 2 (i) में परिकल्पित 'कर्मचारी' की परिभाषा का उल्लेख करेगाः

“न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

खंड 2 (i) "कर्मचारी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी अनुसूचित रोजगार में, जिसके संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गई हैं, किसी कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिकीय, किसी भी काम को करने के लिए भाड़े या ईनाम के लिए नियोजित है और इसमें एक बाहरी कर्मचारी शामिल है जिसे कोई भी वस्तु या सामग्री किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अन्य व्यक्ति के व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए बिक्री के लिए कोई समान या सामाग्री बनाने, साफ करने, धोने, बदले, सजाने, तैयार करने, मरम्मत करने, अनुकूलित या अन्यथा संसाधित करने के लिए दी जाती है, जहां प्रक्रिया को या तो बाहरी कर्मचारी के घर में या किसी अन्य परिसर में किया जाना है, जो उस अन्य व्यक्ति के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत परिसर नहीं है; और इसमें एक कर्मचारी भी शामिल है जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया जाता है। लेकिन इसमे (संघ) के सशत्र बलो का कोई भी सदसय शामिल नहीं है ।

(20) उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों को सामूहिक रूप से सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, यदि इन परिभाषाओं के चार कोनों के भीतर मामले का परीक्षण किया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी न० 1 – श्रमिकों ने लगभग साढ़े पाँच साल लगातार सेवा की थी और छंटनी की प्रक्रिया का विधिवत पालन नहीं किया गया था।

(21) इस स्तर पर, इस न्यायालय के समक्ष जांच किए जाने वाला सबसे आवश्यक कारक चयन के आधार का परीक्षण करना है जो मुकदमेबाजी के इस दौर में चुनौती का विषय था।

(22) रिकॉर्ड की आगे की जांच से यह बिलकुल रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंधन विशेष रूप से मांगे जाने के बावजूद श्रम न्यायालय के समक्ष साक्षात्कार समिति का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ था और ऐसी कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है जहां से खंड 25 (जी) और 25 (एच) के तहत अधिकारों का न्यायिक रूप से निर्धारण किया जा सके, इसके अलावा 1947 के अधिनियम की खंड 25 (एफ) का उल्लंघन करने वाली खामियों के अलावा न्यायिक रूप में निर्धारित किया जा सकता है ।

(23) उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब द्वारा लिखे गए दिनांक 20.02.1995 (अनुलग्नक पी-8) के एक अवलोकन से पता चलता है कि एक स्पष्ट निर्णय लिया गया

था कि क्षेत्रीय कार्यालय (पंजाब) में कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों को पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर बैंक की सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करने का अवसर दिया जाएगा। यह निर्णय आगे समर्थन प्राप्त करता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चीफ जनरल मैनेज 4 आर, लोकल हेड ऑफिस, सैक्टर−17 चंडीगढ़ बनाम ललित जोशी और अन्य के मामले में ध्यान दें के अलावा सिफारिश के रूप में दिनांकित 17.09.1994, Ex.W1/8 (अनुलग्नक पी-11) और परामर्श दिनांकित 30.11.1994 Ex.W1/7 (अनुलग्नक पी-10) के टच स्टोन पर एसिड टेस्ट पास करता है।

25.07.1995 Ex.W1/6 (अनुलग्नक पी-9) नीचे दिए गए न्यायाधिकरण के समक्ष।

(24) न्यायाधिकरण द्वारा नीचे दिए गए तथ्य का निष्कर्ष किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन पर विचार किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रीय कार्यालय ने पत्र दिनांक 07−09−1994 के पत्र के माध्यम से कैंटीन को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया था और एल. आई. सी. द्वारा नियुक्त 10 कर्मचारियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा ताकि वे बैंक में उनके स्थायी रोजगार के लिए विचार कर सकें।

(25) कार्मिक खंड, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय (पंजाब) द्वारा दिनांकित 25.07.1995 को Ex.W1/6 (अनुलग्नक P-9) इस स्वीकृत तथ्य के लिए स्व-व्याख्यात्मक है कि कैंटीन के श्रमिकों का साक्षात्कार वास्तव में 21.07.1995 पर एक विधिवत नामित साक्षात्कार समिति द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें उप महाप्रबंधक-अध्यक्ष, मुख्य प्रबंधक (प्रति), ZOPB, सदस्य, मुख्य प्रबंधक (OAS) ZOPB, सदस्य और सहायक प्रबंधक, राम दरबार चंडीगढ़ शाखा-सदस्य (SC/ST अधिकारी) शामिल थे।प्रतिवादी सहित कैंटीन के सभी दस श्रमिकों का बैंक में कैंटीन लड़कों के रूप में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार लिया गया था, लेकिन प्रतिवादी नहीं।1 - श्रमिकों का चयन नहीं किया गया था।

(26) अपीलकर्ता-प्रबंधन की ऐसी कार्रवाई पर कामगारों द्वारा सवाल उठाया गया था- प्रतिवादी नं० 1 द्वारा 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. No.11143 के अनुसार -

“ सोम दत्त और अन्य बनाम एस. बी. आई. और अन्य।उक्त रिट याचिका का निपटारा दिनांक 25.11.2012 के आदेश के तहत कर दिया गया था जिसमे श्रमिकों को कानून के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाने का अधिकार दिया गया था।

आगे शपथ पत्र Ex.W-1 में, कर्मचारी-प्रतिवादी नं।1 बैंक ने इस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट रुख अपनाया है कि 21.07.1995 पर, बैंक ने तुलाराम, अशोक कुमार, सरूप सिंह और अरविंद शर्मा जैसे कनिष्ठ व्यक्तियों को शामिल किया, जबकि प्रतिवादी-कर्मचारी, जो अन्यथा वरिष्ठ थे।

(27) आश्चर्यजनक रूप से एम. डब्ल्यू.-1 V.K.Maurya की जिरह का संदर्भ, स्पष्ट रूप से इस प्रभाव को स्वीकार करने का संकेत देता है कि प्रतिवादी-कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक में 01.01.1990 से 27.07.1995 तक सेवा में रहे।चूंकि, 1947 के अधिनियम की खंड 25 (जी) को "अंतिम बार आओ, पहले जाओ" के नियम के अपवाद के लिए चयन से संबंधित ठोस रिकॉर्ड पेश करने पर ही संतुष्ट किया जा सकता है।किसी भी अभिलेख की अनुपस्थिति में और इस तथ्य के कारण भी कि कथित छह रिक्तियों

को भरते समय योग्यता की स्थिति अज्ञात रही

1947 के अधिनियम की खंड 25 (जी) और 25 (एच) के उल्लंघन के संबंध में कर्मचारियों द्वारा लिए गए रुख को चुनौती नहीं दी गई थी।(28) प्रबंधन को प्रदान किए गए अवसर न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि विद्वान एकल पीठ द्वारा दिनांक 31.01.2019, 05.02.2019 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से और अंत में 13.02.2019 को पारित आदेश में दर्ज विशिष्ट निर्देशों द्वारा, भी प्रदान किए गए थे जो निम्नानुसार है -

“याचिकाकर्ता-भारतीय स्टेट बैंक 1994-95 की इस अवधि के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ में कैंटीन श्रमिकों की संख्या और स्थानीय मुख्य कार्यालय (एल. एच. ओ.), सेक्टर 17 में कैंटीन की स्थिति का खुलासा करते हुए एक अतिरिक्त शपथ पत्र दायर करेगा, (एलएचओ) सैक्टर–17 जो एक नए भवन में पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय के पास है।बैंक उस तारीख का भी खुलासा करेगा जब एल. एच. ओ. की नई इमारत पर कब्जा किया गया था। 1994-95 और आज भी एल. एच. ओ. में कैंटीन श्रमिकों की संख्या का खुलासा किया जाना चाहिए। उन्हें पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय में कैंटीन कर्मचारियों की वर्तमान संख्या का भी खुलासा करना चाहिए।जब छह कैंटीन श्रमिकों का चयन किया गया और साक्षात्कार के बाद उन्हें शामिल किया गया, तो उन्हें एल. एच. ओ. में पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय से स्थानांतरित कर दिया गया। उन आदेशों को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।यदि कोई हो, तो उन्हें पंजाब क्षेत्रीय कार्यालय से एल. एच. ओ. तक पहुँचाने के लिए अपनाए गए तरीके को जानने के लिए अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ जानना था ।

22.02.2019 पर फिर से सूचीबद्ध करें।

दोनों वकीलों द्वारा प्रदान किए गए निर्णयों का संकलन

तबलक में रखा जाना चाहिए।

इस आदेश की एक फोटोकॉपी जुड़ी हुई फ़ाइल पर रखी जानी चाहिए।” (29) हालांकि, श्री मनोज कुमार गुप्ता मुख्य प्रबंधक (एच. आर.), प्रशासनिक कार्यालय, भारतीय स्टेट बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ का एक शपथ पत्र दिनांक 22.02.2019 को प्रबंधन-एस. बी. आई. द्वारा दायर किया गया था, हालांकि, बार-बार गंजेपन की दलीलों को देने के अलावा कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसा कि न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया गया था।सर्वोतम साक्षय फाइल पर मौजूद नहीं है।

(30) यह भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है कि यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादी न० 1 बैंक के कर्मचारी हैं, जिनका जवाब 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11143 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न मुकदमे के पहले दौर में दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य मामले (सुपड़ा) का निर्णय नहीं होगा

अपीलकर्ता को कोई भी सहायता, नहीं मिलेगी क्योंकि तथ्य वर्तमान मामले से अलग थे, विशेष रूप से इस मुद्दे के कारण कि प्रावधान के साथ कैंटीन को वर्ष 1995 में नियमित आधार पर बैंक में कैंटीन वेटरों की नियुक्ति के प्रावधान के साथ लिया गया है, जो सीधे बैंक के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की पुष्टि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1995 के (सी. डब्ल्यू. पी.) संख्या 9240 में की गई थी, जिसे लागत के साथ खारिज कर दिया गया था।उक्त प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिवत लागू किया गया था और प्रतिवादी नं.1 श्रमिकों को न्यनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था। इस न्यायालय के विचार में, पक्षों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी के संबंध से संबंधित मुद्दे पर पहले ही निर्णय ले लिया गया है और उसे अंतिम रूप दे दिया गया है जो प्रबंधन की ओर से इस्टेपल्स और रेज़-जुडिकेटा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से सक्रिय करना अनुचित होगा जैसा कि होप प्लांटेशन लिमिटेड बनाम तालुक भूमि बोर्ड, पीर मेड और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा देखा गया है।

जो इस प्रकार है इसके अंतर्गतः- “यह तय किया गया कानून है कि निष्कासन और न्यायाधीशिक निर्णय के सिद्धांत सार्वजनिक नीति और न्यायाधीश पर आधारित हैं।रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को अक्सर एस्टोपेल्स के कानून की एक शाखा के रूप में माना जाता है, हालांकि कुछ आवश्यक विवरणों में दो सिद्धांत भिन्न होते हैं।न्यायिक निर्णय का नियम न्यायिक निर्णय के पक्षों को एक ही प्रश्न पर फिर से मुकदमा करने से रोकता है, भले ही निर्णय स्पष्ट रूप से गलत भी हो सकता है।जब कार्यवाही अंतिम रूप ले लेती है, तो पक्ष निर्णय से बाध्य होते हैं और उन पर सवाल उठाने से रोक दिया जाता है।वे उसी मुद्दे पर एक ही कारण से फिर से मुकदमा नहीं कर सकते हैं, और न ही वे

किसी ऐसे मुद्दे पर मुकदमा कर सकते हैं जो पहले के मुकदमे में निर्णय के लिए आवश्यक था।ये दो पहलू हैं "कार्रवाई रोकने का कारण" और "मुद्दा रुका हुआ"।ये दोनों शब्द सामान्य कानून मूल के हैं। एक बार फिर से, एक मुद्दा सामने आया है अंत में निर्धारण हो जाने के बाद, मुकदमाकार बाद में उसी मुकदमे में अतिरिक्त की दलीलें नहीं दे सकते हैं या यह दिखाने के लिए निर्देशित आगे के सबूत पेश नहीं कर सकते हैं कि मुद्दा गलत तरीके से निर्धारित किया गया था। उनका एक मात्र उपाय यदि उपलब्ध हो तो उच्च मंच से संपर्क करना है।

(32) 'कामगार' शब्द को निर्धारित करने के लिए एक और परीक्षण, नंबर 3 (1999) 5 एससीसी 590 है।

पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी के बीच वर्गीकरण और ऐसे कर्मचारी को पूर्णकालिक नौकरी करने के लिए नियमित आधार पर होना आवश्यक नहीं है। देविंदर सिंह बनाम नगर परिषद, सनौर 4 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी कई शब्दों में अच्छी तरह से व्याख्या की गई है, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया थाः-

"रोजगार का स्रोत, भर्ती की मात्रा, रोजगार के नियम और शर्तें/सेवा अनुबंध, मजदूरी/वेतन की मात्रा और भुगतान का तरीका यह तय करने के लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं हैं कि कोई व्यक्ति अधिनियम की खंड 2 (S) के अर्थ के भीतर एक कर्मचारी है या नहीं। कर्मकार की परिभाषा भी पूर्णकालिक और अंशकालिक कर्मचारी या अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं करती है।खंड 2 (S) की सरल भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि केवल नियमित आधार पर नियोजित व्यक्ति या पूर्णकालिक नौकरी करने के लिए नियोजित व्यक्ति एक कर्मचारी है और वह व्यक्ति जो अस्थायी, अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर निश्चित वेतन पर एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में या निश्चित घंटों के लिए ड्यूटी/कार्य करने के लिए नियोजित है, वह कर्मचारी नहीं है।"

(33) वर्तमान मामले में, प्रतिवादी न० 1 – कामगारों को वेतन का भुगतान अपीलकर्ता-भारतीय स्टेट बैंक-प्रबंधन द्वारा दी गई सब्सिडी और कर्मचारियों से एकत्र की गई राशि से भुगतान किया जाता था। प्रतिवादी न० 1 की सेवा में संलग्नता का उद्देश्य सं।1 – कर्मचारियों को कैंटीन का प्रबंधन और संचालन करना था जिसे एल. आई. सी. नामक इसकी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा से सुविधा प्रदान की जा रही है। इस प्रकार, इन तथ्यों के प्रकाश में, प्रतिवादी न० 1 – श्रमिक 1947 के अधिनियम की खंड 2 (ओं) के तहत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखे गए नीचे दिए गए न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निर्णय को बरकरार रखा गया किसी भी पेटेंट अवैधता या कानून में त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

(34) अब, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या श्रमिकों की छंटनी/समाप्ति-प्रतिवादी नहीं।1 क्या यह अवैध है?प्रतिवादी का मामला सं।1 – कर्मचारी का मामला यह है कि उन्हें 27-07-1995 से बिना किसी मुआवजे के और 1947 के अधिनियम की खंड 25 (जी) और 25 (एच) के प्रावधानों का पालन किए बिना सेवा से हटा दिया गया है। शपथ पत्र में Ex.W-1 कर्मचारी -प्रतिवादी न० 1 स्पष्ट रूप से कहा है कि 21.07.1995 को, प्रबंधन-अपीलकर्ता ने वरिष्ठों की कीमत पर कनिष्ठ व्यक्तियों को समाहित किया I

तुला राम, अशोक कुमार, सरूप सिंह और अरविंद शर्मा, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने बिना किसी अवकाश के 01.01.1990 से 27.07.1995 तक निरंतर सेवा पूरी की थी और उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

(35) अपीलकर्ता-प्रबंधन की चयन समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित करने के तथ्य को आगे स्वीकार किया जाता है कि कर्मचारी-प्रतिवादी न० 1 को उपयुक्त नहीं पाए जाने पर उनका चयन नहीं किया गया। हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विभिन्न अवसर दिए जाने के बावजूद, इस तरह के साक्षात्कार का रिकॉर्ड और ऐसी समिति

द्वारा किए गए चयन को न्यायाधिकरण और इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया था और न ही यह दिन की प्रकाश में देखा गया था।यह निर्विवाद है कि कर्मचारी-प्रतिवादी न० 01, 01°01.1990 से 27.07.1995 तक सेवा में रहे थे जैसा कि MW1, V.K.Maurya द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है। अपीलकर्ता-प्रबंधन ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि 1947 के अधिनियम की खंड 25 (एफ) के तहत किसी भी नोटिस के बदले में एक महीने के वेतन का भुगतान किया गया था।यहां तक कि "अंत में आओ, पहले जाओ" के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया है, इसलिए, खंड 25 (जी) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।प्रतिवादी नं. की छंटनी को सही ठहराने के लिए सबसे अच्छा सबूत फाइल पर मौजूद नहीं हैं और इसके अलावा, अपीलकर्ता का बचाव-इस प्रभाव के लिए प्रबंधन कि प्रतिवादी न० 1 – कर्मचारियों को उपयुक्त नहीं पाया गया, यह देखने के लिए कि यह राय कैसे बनाई गई थी, किसी भी रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में में उचित नहीं पाया गया।

(36) 1947 के अधिनियम की खंड 25 (एफ) के प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य हैं और उनका उल्लंघन करते हुए सेवाओं को समाप्त करते हुए, अपीलकर्ता की पूरी कार्रवाई को अवैध, मनमाना और प्राकृतिक न्यायाधीश के नियमों के उल्लंघन के कारण दूषित कर देते हैं और इसलिए, यह कानून में टिकाऊ नहीं है।

(37) यह कानून में अच्छी तरह से तय है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है, साथ ही अनूप शर्मा बनाम कार्यकारी इंजीनियर सार्वजनिक स्वास्थ्य डिविजन न० 1 पानीपत (हरियाणा) के मामले में भी

न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष को कार्यवाही में प्रमाणपत्र के रिट द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि अर्ध न्यायिक कार्यों को सौंपे गए अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाले मामलों में रिट जारी करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। उच्च न्यायालय, इसका प्रयोग करते हुए, एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है और सबूतो की सारहना को रिट में फिर से नहीं खोला जा सकता है या सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

5 2010(3) एससीसी 497

(38) मोजूदा मामले में, न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई है, दलीलों और सबूतो के सही मूल्यांकन पर आधारित हैं और रिकॉर्ड के सामने हस्तक्षेप करने के लिए कानून की कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।

(39) ऊपर दर्ज किए गए पूर्वगामी कारणों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

(40) लंबित विविध मुख्य अपीलों के खारिज होने को कारण आवेदनों को निष्फल माना जाता है।

(41) आदेश की एक प्रति ऊपर दी गई अन्य संबंधित अपील की फाइल पर रखी जाए।

(अस्वीकरण स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी वयवहारिक और अधिकारक उदेशयों के लिए निर्णय का अँग्रेजी सन्सकरण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्व्यन के उदेशय के लिए उपुयक्त रहेगा)।

विजय कुमार

अनुवादक